

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा0स्वी0-74/2016/...../राँची, दिनांक

प्रेषक:

ई. मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत 14 अदद चेकडैम के निर्माण लागत राशि रु. 774.70 लाख (रुपये सात करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के अधीन सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत 14 अदद चेकडैम के निर्माण लागत राशि रु. 774.70 लाख (रुपये सात करोड़ चौहत्तर लाख सत्तर हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. (क) स्वीकृत 14 अदद चेकडैम योजनाओं की विवरणी परिशिष्ट-I के रूप में संलग्न है।
(ख) योजना की कुल लागत रु. 774.70 लाख है, जिससे 824 हे. सिंचन क्षमता सृजन का अनुमान है। प्रस्ताव का औसत इन्सीडेन्स ऑफ कॉस्ट रु. 91328/प्रति हेक्टेयर आकलित है।
3. (क) चेकडैम योजना के कार्यान्वयन के पूर्व चयनित नदी/नाला पर प्रस्तावित योजना के लिए स्थल विशेष की स्थिति के अलोक में रूपांकण के आधार पर योजनावार विस्तृत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायेगा जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्य के अनुरूप मद एवं मात्रा को ध्यान में रखते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
(ख) चेकडैम योजनाओं का निर्माण लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व लाभुक समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होगा, उस स्थिति में स्थल पर योजना निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
4. इन कार्यों पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता, उप शीर्ष-19-नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-लघु शीर्ष-101-सतही जल-उपशीर्ष-19 नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-5-45 अंतर्गत भारित होगा।
5. इन योजनाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ कर वर्ष 2016-17 में पूर्ण किया जायगा।
6. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज, दुमका, राँची, गुमला एवं गोडडा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / दुमका होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।

7. इन कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनु०:- परिशिष्ट-I


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा०स्वी०-74/2016/...../राँची, दिनांक
प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-I


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा०स्वी०-74/2016/...../राँची, दिनांक
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, साहेबगंज, दुमका, गोडडा, राँची एवं गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-परिशिष्ट-I


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा०स्वी०-74/2016/...../राँची, दिनांक
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/दुमका/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज, दुमका, गोडडा, राँची एवं गुमला/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु०:-परिशिष्ट-I


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा०स्वी०-74/2016/...../राँची, दिनांक
प्रतिलिपि: आयुक्त, संथाल परगना दुमका/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०:- परिशिष्ट-I


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा0स्वी0-74/2016/...../राँची, दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0:- परिशिष्ट-I

६०१-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशा0स्वी0-74/2016/ 71/15-16 प्र.खी. /राँची, दिनांक 18.03.2016

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:- परिशिष्ट-I

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

18/03/16

सासंद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चेकडैम नव निर्माण कार्य संबंधी विवरणी :-

क्र० सं०	लघु सिंचाई प्रमंडल का नाम	जिला	योजना का नाम	प्रखंड	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	सिंचन क्षमता (हे०)			इंसिडेस ऑफ कॉस्ट	B.C. Ratio	अभि०
1	2	3	4	5	6	खरीफ	रबी	कुल	10	11	12
1			मसानी ग्राम धरहरिया पर चेकडैम निर्माण		29.892	30	10	40	74730	1.36	
2			चन्द्राय हासदों के जमीन के पास ग्राम सिंगाटोंड पर चेकडैम निर्माण		40.638	30	10	40	101595	1	
3			कुल्हीमुरा असनाटोला ग्राम पतराबाड़ा पर चेकडैम निर्माण		40.688	40	10	50	81376	1.34	
4			ग्राम गोसा थान रक्सी पर चेकडैम निर्माण		49.253	40	10	50	98506	1.18	
5			तालीकोचा नाला जाहेरधानी ग्राम राजापानी पर चेकडैम निर्माण		46.291	40	10	50	92582	1.18	
6			चान्दु पहेरिया के खेत के पास ग्राम छोटामजडिहा पर चेकडैम निर्माण		44.217	40	10	50	88434	1.46	
7	दुमका	दुमका	लताबार जोरिया पर चेकडैम निर्माण	मसलिया	56.495	60	5	65	86915	1.53	
8	रौंदी	रौंदी	उलीडीह नाला पर सिरीज चेकडैम का निर्माण	नामकोम	181.641	125	24	149	121907	1.28	
9			डोडा मंजिरा नाला पर चेकडैम निर्माण		34.022	32	10	42	81005	1.53	
10	गुमला	गुमला	गट्टी मंजिरा नाला पर चेकडैम निर्माण	विशुनपुर	35.296	33	10	43	82084	1.52	
11			गनेश डेम नाला पर चेकडैम निर्माण		35.227	25	5	30	117423	1.57	
12			सापिन नदी में बाहा ग्राम में चेकडैम निर्माण		54	55	10	65	83077	1.35	
13	गोडड़ा	गोडड़ा	सापिन नदी में तेलोलिया ग्राम में चेकडैम निर्माण	पथरगामा	54	55	10	65	83077	1.35	
14			सापिन नदी में भसुधिया ग्राम में चेकडैम निर्माण		73	70	15	85	85882	1.31	
योग					774.660	675	149	824	91328		
अर्थात्					774.70						

पत्रांक 71/15-16-9 स्तं. दिनांक 15.03.2016-

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग
गुल्मी

